

फद अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
मेहबूब व अन्य
बनाम
गफुरखां इत्यादि

किस्म मुकदमा....225 आर.टी.एक्ट

न. 73 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.04.2023	पत्रावली बाद जांच होकर पेश हुई। अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 17/2022 बअनवान गफर खॉ व अन्य बनाम मेहबूब इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.01.2023 के विरुद्ध पेश हुई। अपीलांट्स के अधिवक्ता श्री पवन चौधरी उपस्थित। रेस्पोंडेंट संख्या एक से तीन, आठ, नौ व ग्यारह की ओर से केवियटर अधिवक्ता श्री भंवरसिंह तापू उपस्थित। अपील बउज्र म्याद दर्ज रजिस्टर हो। केवियटर अधिवक्ता को अपील मीमों एवं स्थगन प्रार्थना पत्र की प्रति दिलाई गई। पत्रावली स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु दिनांक 25.04.2023 को पेश हो।	
25-4-23	<p>वकील अपीलांट/रेस्पोंडेंट/उपखण्ड पक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्व आवेदनानुसार दिनांक 29-5-23 को पेश हो।</p> <p>राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर</p>	
29.5.23	<p>मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा सामूहिक कार्य बहिष्कार के कारण पत्रा. आज पेश हुई बहुतायत /प्रार्थी/अप्रार्थी उप.। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.8.23 को पेश हो।</p>	
17.8.23	<p>वकील अपीलांट/रेस्पोंडेंट/उपखण्ड पक्ष उपस्थित। पत्रावली पूर्व आवेदनानुसार दिनांक 20.10.2023 को पेश हो।</p> <p>राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर</p>	
20.10.23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट से कोई उपस्थित नहीं। -मामालय समय में कई बार आवाम ही गई। फिर भी कोई उप. नहीं। इतः पत्रावली अदलत हाजरी व अदलत पेशगी में धारिण की जाती है। पत्रा. केसल सुनार होकर उबा से उप की जाकर दाखिल करवा है।</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर